विधान सभा प्रश्न

तत्काल / आज ही

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितिया
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001

फा0 संख्या : AR/BKG/RCS/2021/CDNo. 107657827/477 दिनांक 28/07/2021

सेवा मे

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषयः– उत्तर अतारांकित प्रश्न स0 152 दिनांक 30.07.2021 के लिए।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 22/07/2021 के संदर्भ में प्रश्न संख्या 152 का उत्तर प्रेषित है जो की विभागाध्यक्ष द्वारा स्वय हस्ताक्षरित है और माननीय मंत्री (पंजीयक) द्वारा अनुमोदित है तथा निर्देशानुसार 100 प्रतिलिपियां एवम् सॉफ्ट कॉपी पेनड्राइव मे संलग्न है।

संलग्न :-

(1) 100 प्रतिलिपियां
(2) पेनड्राइव मे सॉफ्ट कॉपी

अरफ़ी
28/7/2021
(अशफाक़ अहमद अरफ़ी)

सहायक पंजीयक (समन्वय)

विभाग का नाम :-- पंजीयक सहकारी समितियाँ

विभाग का पता :-- ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

अतारांकित प्रश्न संख्या :-- 152

दिनांक :- 30.07.2021

प्रश्नकर्ता का नाम :--_श्री प्रवीण कुमार, माननीय सदस्य

क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

प्रश्न	उत्तर
क) क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 2018 से अब तक दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है, सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये;	(क) विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2018 से अब तक मुख्यतः सदस्यता के मुद्दे से संबंधित तीन (03) शिकायतें विभिन्न चैनलों के माध्यम से कई प्रतियों में प्राप्त हुई हैं। जिसमे, दिनांक 12.02.2019 को एक शिकायत श्री अतुल भारद्वाज, उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य निदेशकों के द्वारा प्राप्त हुई थी। जिसका संबधित विषय वर्ष 2011-14 की अवधि के दौरान दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में सदस्यों के अवैध नामांकन के संदर्भ में थी. इस संबंध में, तथ्यों के आधार पर, एक निरीक्षण का आदेश दिया गया था और तदनुसार,दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि, उक्त कार्यवाही को वित्तीय आयुक्त के न्यायालय द्वारा रोक दिया गया था, जिसका विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विरोध किया गया था। फल स्वरुप वित्तीय आयुक्त ने रोक के आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया हालांकि, संबंधित बैंक ने 2019 के सीएम (एम) नंबर 1721 और 1722 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें कोर्ट ने पंजीयक के आदेशों पर रोक लगा दी और कार्यवाही अभी भी वित्तीय आयुक्त के न्यायालय के समक्ष लंबित है। विभाग अपने सरकारी वकील के माध्यम से दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एवं नियमों के अनुसार मामले का विरोध कर रहा है । दूसरा, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में सदस्यों का नामांकन करते समय दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 41 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 2018 की शुरुआत में एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। तदनुसार, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 138 के तहत दिनांक 29.08.2018 तत्कालीन पंजीयक द्वारा के निर्देश पास किया गया कि

	निरीक्षण कार्यवाही पूरी होने तक नए सदस्यों के नामांकन को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया । हालांकि, पंजीयक कार्यालय ने इस सन्दर्भ में बैंक द्वारा अतिरिक्त उल्लंघन नोटिस किए। अतिरिक्त पंजीयक को आदेश दिनांक 21.10.2019 के तहत दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 41(3) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्त किया गया । इसके बाद, दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त पंजीयक ने दिनांक 16.02.2021 को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसमें दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के 6003 (छह हजार तीन) सदस्यों की अयोग्यता की मंजूरी दी गई। आगे, पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में दिनांक 08.02.2021 को एक अन्य शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 12.01.2018 से 30.09.2020 के दौरान निवर्तमान प्रबंध समिति द्वारा दायर किए गए 2050 सदस्यों और 01.10.2020 से 15.12.2020 के बीच 902 सदस्यों को शामिल करने को बैंक उप-नियमों का उल्लंघन और माधव दास समिति की अवहेलना करने के कारण अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया। इसी अवधि के दौरान कुछ अन्य सदस्यों से भी इसी विषय पर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में मुख्य शिकायत उपयुक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए रिटर्निंग अधिकारी को अग्रेषित की गई थी। हलाकि , उक्त विषय में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूपीसी संख्या 4487/2021 के तहत एक याचिका दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।
ख) क्या यह सत्य है कि तत्तकालीन पंजीयक ने यू / एस 66 (2) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एक्ट 2003 की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को नोटिस देना बन्द कर दिया था,	हाँ, यह सत्य है|

<table>
<tr><td>ग) यदि हां, तो यह किस नियम के तहत किया गया, सम्पूर्ण विवरण दें;</td><td>दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66 (2) के तहत जिन व्यक्तियों को धारा 66(1) के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो ऐसे सम्बंधित व्यक्ति को कोई ही आदेश देने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 66 (2)
"Where an inquiry is made under sub-section (1), the Registrar may, after giving the person concerned an opportunity of being heard make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof with interest at such rate or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Registrar may consider just and equitable."</td></tr>
<tr><td>घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम एक्ट, 2003 तहत कितनी जॉच चल रही है.</td><td>फिलहाल चार विषयों पर जांच चल रही है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-
<table>
<tr><th>क्रमांक संख्या</th><th>धारा 61 के तहत निरीक्षण</th><th>धारा 62 के तहत जांच</th><th>धारा 66 के तहत जांच</th><th>धारा 118 के तहत अभियोजन स्वीकृत</th></tr>
<tr><td>1</td><td>01</td><td>01</td><td>04</td><td>02</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ङ) यू / एस 61, 62, 66 (1) 66 (2), 1(1) 121, 118 सभी की शिकायतें कब की गयी, उनकी तिथि सहित सम्पूर्ण स्टेटस बताने की कृपा करें और</td><td>
<table>
<tr><th>शिकायत विवरण और स्थिति</th></tr>
<tr><td>1) श्री अनिल कुमार गौर द्वारा दिनांक 13.10.2016 को शिकायत प्राप्त हुई।

विषय:
दिवाली उपहार की खरीद
स्थिति:
• 09.06.2017 को धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई
• धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 15.12.2017 को प्राप्त हुई
• वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	2) कार्यवाहक सीईओ, डीएनएसबी के द्वारा दिनांक 18.01.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई. **विषय:** सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं **स्थिति** • धारा 61 के तहत निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.11.2017 को प्राप्त हुई • धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को प्राप्त हुई • धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 09.10.2019 को प्राप्त हुई • वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
	3) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई **विषय:** वर्ष 2015-16 की सांविधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अनियमितता के सन्दर्भ में **स्थिति** • धारा 62 के तहत दिनांक 01.12.2017 को जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई • धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट 08.04.2019 को फिर 23.07.2019 और 03.08.2020 को प्राप्त हुई • वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है।
	4) श्री आर.एस. यादव और विजय देव द्वारा दिनांक 29.05.2013 को शिकयत प्राप्त हुई **विषय:** ऋण वितरण में कुप्रबंधन। **स्थिति** • धारा 61 के तहत दिनांक 31.07.2015 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई • धारा 62 के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 को प्राप्त हुई • धारा 66(1) के तहत जांच रिपोर्ट दिनांक 03.10.2017 को प्राप्त हुई

देविन्द्र सिंह

	• वर्तमान में, मामले की सुनवाई दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धारा 66(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है
	5) श्री अतुल भारद्वाज एवं अन्य के द्वारा दिनांक 12.02.2019 को शिकायत प्राप्त हुई **विषय:** दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम नियम 2007 के नियम 25 के उल्लंघन में नए सदस्यों का नामांकन के सम्बन्ध में **स्थिति** दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत निरीक्षण अधिकारी को दिनांक 14.02.2019 के आदेश के तहत पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और जांच अधिकारी द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी। हालाँकि, इस मामले पर फ़िलहाल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।
	6) श्री कृष्ण कुमार मित्तल के द्वारा दिनांक 06.02.2017 को शिकायत प्राप्त हुई **विषय:** बैंक के छह कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के सन्दर्भ में **स्थिति** • धारा 61 के तहत दिनांक 17.11.2020 को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई • दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत जांच अधिकारी को आदेश दिनांक 11.02.2021 के तहत नियुक्त किया गया है और रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है
	7) कार्यवाहक सीईओ, डीएनएसबी द्वारा दिनांक 18.01.2016 को शिकायत प्राप्त हुई **विषय:** सदस्यों के नामांकन में अनियमितताएं के सन्दर्भ में **स्थिति** • श्री राजेश कुमार के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा किया गया • दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा

	118 के तहत एवं विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कड़कड़डोमा कोर्ट में एक अनुपालन मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।
	8) श्री अनिल कुमार गौर के द्वारा दिनांक 24.05.2016 को शिकायत प्राप्त हुई **विषय:** सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2015-16 में अनियमितताएं के सन्दर्भ में **स्थिति** • श्री जितेन्द्र गुप्ता के खिलाफ दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 121 r/w धारा 118 के तहत कार्यवाही आदेश दिनांक 24.09.2019 के द्वारा की गयी • दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 118 और विभिन्न अन्य आईपीसी धाराओं के तहत संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तीस हजारी कोर्ट में एक शिकायत का मामला पहले ही दायर किया जा चुका है।
च) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के दिल्ली को-आपरेटिव ट्रिब्यूनल फाइनेन्स कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस लम्बित है उसमें विभाग का क्या स्टैन्ड है, उसका ब्यौरा	(च) पंजीयक सहकारी समिति कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के विभिन्न ट्रिब्यूनल/न्यायालय में मामले निम्नानुसार हैं:

कोर्ट/ट्रिब्यूनल	मामलों की संख्या	विभाग का स्टैंड
उच्चतम न्यायालय	00	N/A
उच्च न्यायालय	10	विभाग दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों का सक्रिय रूप से बचाव कर रहा है। सरकारी वकील के परामर्श से आठ मामलों में हलफनामा पहले ही दायर किया जा चुका है। . इसके अलावा, हाल ही में दो मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें सरकारी वकील के सक्रिय परामर्श से हलफनामे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

	जिला अदालत	04	दो मामले ऋण वसूली मामले से संबंधित हैं और अन्य दो मामले दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 118 और विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत आरोपी को तलब करने और मुकदमा चलाने के लिए विभाग द्वारा दायर किए गए हैं।
	वित्तीय आयुक्त का न्यायालय	17	विभाग सरकारी वकील के सक्रिय परामर्श से दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन मामलों का सक्रिय रूप से बचाव कर रहा है।

हस्ताक्षर

DEVINDER SINGH, IAS
Secretary (Co-op)-cum-Registrar (Co-op Societies)
विभागाध्यक्ष
Govt. of N.C.T. of Delhi.
Old Court Building,
Parliament Street, New Delhi-110001